अध्याय II

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

2.1 आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के सक्रिय प्रावधान

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 62 के तहत राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा आरबीओसीडब्ल्यू नियम बनाते समय बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया गया:

(i) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 24(3) में यह निर्धारित है कि कोई भी मण्डल किसी भी वित्तीय वर्ष में, अपने सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक व्यय के लिए पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में शामिल नहीं की गई थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, प्रशासनिक व्यय कुल व्यय के पांच प्रतिशत के भीतर ही रहा, तथापि, भविष्य में अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में अधिकतम सीमा भी शामिल की जानी चाहिए थी।

(ii) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 46 में यह निर्धारित है कि नियोजक कार्य प्रारंभ करने के 30 दिन पूर्व आठ प्रकार की जानकारी वाली एक सूचना क्षेत्राधिकार निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। आरबीओसीडब्ल्यू नियम बनाते समय ऐसी एक जानकारी, जैसे कि कार्य के विभिन्न चरणों के दौरान नियोजित होने वाले श्रमिकों की संख्या का विवरण, आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(iii) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, यदि कोई नियोजक धारा 46 के तहत भवन या अन्य निर्माण कार्य शुरू करने की सूचना देने में विफल रहता है, तो उसे तीन माह तक की अवधि के लिये कारावास या दो हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यह पाया गया कि आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में ऐसा कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग को अवगत (नवंबर 2024) कराया गया, हालांकि, उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

लेखापरीक्षा का मत है कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधान बीओसी श्रमिकों के कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु आवश्यक है।

2.2 संस्थागत ढांचा

राज्य बीओसीडब्ल्यू मण्डल, राज्य सलाहकार समिति और विशेषज्ञ समिति, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम में निर्धारित संस्थागत ढांचा हैं । मानव श्रम, मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन और राज्य सलाहकार समिति के गठन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है ।

2.2.1 मानवश्रम की कमी

राजस्थान सरकार ने आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल के लिए 12 पद[1] स्वीकृत किये थे । इनमें से, 11 पद अक्टूबर 2011 में और कनिष्ठ लेखाकार का एक पद अप्रैल 2016 में स्वीकृत किया गया था । लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-22 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 12 में से आठ[2] पद रिक्त थे ।

जिला स्तर पर श्रम निरीक्षकों द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन और निगरानी के अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त मण्डल के विभिन्न कार्य निष्पादित किए जा रहे थे । राज्य स्तर पर और चयनित जिलों में भी स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत पदों में कमी थी । वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के श्रम विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में पदस्थापित श्रम निरीक्षकों की संख्या का विवरण नीचे **तालिका 2.1** में दिया गया है:

तालिका 2.1: स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थापित श्रम निरीक्षकों की संख्या की स्थिति

वर्ष	राज्य		जयपुर		धौलपुर		करौली		कोटा		जोधपुर	
	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)
2017-18	181	95 (52)	20	3 (15)	3	2 (67)	3	1 (33)	10	4 (40)	12	4 (33)
2018-19	181	118 (65)	20	20 (100)	3	2 (67)	3	1 (33)	10	6 (60)	12	8 (67)
2019-20	181	111 (61)	20	14 (70)	3	1 (33)	3	1 (33)	10	5(50)	12	8 (67)
2020-21	181	90 (50)	20	17 (85)	3	1 (33)	3	1 (33)	10	4(40)	12	3(25)
2021-22	181	89 (49)	20	19 (95)	3	1(33)	3	1 (33)	10	3(30)	12	7 (58)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017-22 के दौरान, राज्य के श्रम विभाग में श्रम निरीक्षकों की कमी 35 प्रतिशत से 51 प्रतिशत के मध्य रही । इसी प्रकार, चयनित पांच जिलों में वर्ष 2017-22 के दौरान श्रम निरीक्षकों की कमी 5 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के मध्य रही (वर्ष 2018-19 में जयपुर को छोड़कर) । इस कमी ने स्थापनों के निरीक्षण (**अनुच्छेद 5.4.2**) और उपकर के संग्रहण (**अनुच्छेद 4.2**) को प्रभावित किया ।

---

[1] सहायक श्रम आयुक्तः 1, लेखा अधिकारीः 1, लेखाकारः 1, कनिष्ठ लेखाकारः 1, श्रम निरीक्षकः 2, निजी सहायकः 1, उच्च श्रेणी लिपिकः 1, निम्न श्रेणी लिपिकः 2 और ग्रुप-डीः 2 ।

[2] सहायक श्रम आयुक्तः 1, लेखाकारः 1, निजी सहायकः 1, उच्च श्रेणी लिपिकः 1, निम्न श्रेणी लिपिकः 2 (वर्ष 2017-18: 1 पद) और ग्रुप-डीः 2 ।

2.2.2 मण्डल के निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं होना

आरबीओसीडब्ल्यू नियमों का नियम 40 यह निर्धारित करता है कि मण्डल सचिव को मण्डल के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। मण्डल को अपनी बैठक में निर्णय लेने तथा माननीय श्रम मंत्री के अनुमोदन के बाद योजना में संशोधन करने का अधिकार है। तत्पश्चात्, योजना के दिशा-निर्देशों में, लिए गये निर्णयों/संशोधनों के क्रियान्वयन हेतु मण्डल सचिव द्वारा निर्देश जारी किये जाने चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017 और वर्ष 2021 के दौरान, माननीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मण्डल की बैठकों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: बैठकों में लिए गए मण्डल के निर्णय

मण्डल की बैठक	बैठक की तिथि	निर्णय
26वीं	11 अगस्त 2017	मृत्यु अथवा घायल सहायता योजना के अंतर्गत उन मामलों में दी जाने वाली सहायता राशि बहुत कम है, जहां दुर्घटना के कारण बीओसी श्रमिक अपना कार्य करने में अक्षम हो जाता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि यदि दुर्घटना के परिणामस्वरूप श्रमिकों की स्थायी विकलांगता (आंशिक/पूर्ण) होती है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व में प्रदान की गई सहायता राशि को समायोजित किए बिना पूर्ण लाभ दिया जाना चाहिए।
31वीं	06 जुलाई 2021	मृत्यु अथवा घायल सहायता योजना के तहत किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता (आंशिक/पूर्ण) की स्थिति में सहायता प्रदान की जा रही थी। किसी बीमारी या अन्य कारणों से स्थायी विकलांगता (आंशिक/पूर्ण) के मामले में भी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

तथापि, यह पाया गया कि मण्डल ने अपने उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए आगे कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सचिव, मण्डल ने उत्तर में अवगत (अक्टूबर 2024) कराया कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल मण्डल की बैठक में अनुमोदन और माननीय श्रम मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया गया था। साथ ही, योजना के प्रावधानों में संशोधन आवश्यकतानुसार किया जाता है।

तथ्य यह है कि बैठकों के दौरान ही सक्षम अधिकारियों द्वारा ये निर्णय अनुमोदित कर दिए गये थे, तथापि, मण्डल द्वारा निर्णय को लागू करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.2.3 राज्य सलाहकार समिति का गठन

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि राज्य सरकार को एक राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) का गठन करना होगा। आरबीओसीडब्ल्यू के नियम 4 के अनुसार, एसएसी में एक अध्यक्ष और नियोजकों व भवन श्रमिकों के प्रतिनिधियों सहित 13[3] सदस्य होंगे। आरबीओसीडब्ल्यू नियमों का नियम 5 भी यह प्रावधान करता है कि एसएसी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। आरबीओसीडब्ल्यू नियमों के नियम 14 में यह प्रावधान है कि एसएसी की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, ताकि अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलों पर राज्य सरकार को सलाह दे सके जैसा कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 4 में उल्लेखित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसएसी का पुनर्गठन अंतिम बार सितंबर 2015 में किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, निर्धारित 20 बैठकों के विरूद्ध एसएसी की केवल एक बैठक (28 अप्रैल 2017) आयोजित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम में अपेक्षित आवश्यक कार्यों का निर्वहन नहीं किया जा सका। विभाग ने इस संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने आरबीओसीडब्ल्यू नियम बनाते समय बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों को शामिल नहीं किया। इसके अलावा, आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल और श्रम विभाग में मानवश्रम की कमी थी, जिससे बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण तथा उपकर के संग्रहण सहित स्थापनों के निरीक्षण और अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना प्रभावित रही।

अनुशंसा 1: राजस्थान सरकार द्वारा बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल और श्रम विभाग में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरकर मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

[3] (i) राज्य विधान मंडल के दो सदस्य; (ii) केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य; (iii) मुख्य निरीक्षक; (iv) बीओसी कार्य से जुड़े नियोजकों के चार प्रतिनिधि; (v) भवन श्रमिकों के चार प्रतिनिधि; (vi) दुर्घटना बीमा संस्थान का एक प्रतिनिधि।